

परिभाषिक शब्दावली

- “वार्षिक सूचना रिटर्न” (एआईआर): आयकर अधिनियम की धारा 285बअ के अनुसार, विनिर्दिष्ट प्रविष्टियां, आयकर प्राधिकरण को विव के दौरान उनके द्वारा पंजीकृत विनिर्दिष्ट लेन-देन के संबंध में एआईआर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं।
- “ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली” (ओएलटीएएस): ओएलटीएएस प्रणाली सूचना प्राप्त करने और चालान विवरणों के ऑनलाइन अपलोड करने के माध्यम से बैंक के माध्यम से करों के भुगतान के अभिलेखों को बनाए रखने की आईटीडी की एक पहल है। सीआईएन (चालान पहचान संख्या) की सहायता से, प्रत्येक भुगतान की आईटीडी के लिए बैंकों द्वारा कर भुगतान के विवरणों के ऑनलाइन संचरण को सक्षम करने की विशिष्ट रूप से पहचान की जाएगी। करदाता टीआईएन (कर सूचना नेटवर्क) के माध्यम से अपने चालानों की स्थिति के विषय में पूछताछ कर सकते हैं, एनएसडीएल (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) द्वारा यह स्थापित किया गया है।
- “स्थाई खाता संख्या” (पैन): पैन अंक आईटीडी द्वारा लेमिनेटिड कार्ड के रूप में निर्गत की गयी एक दस अंक वाली अक्षरांकीय संख्या है यह करदाताओं के लिए राष्ट्रीय पहचान संख्या भी जिसे आयकर रिटर्न में और विभाग के साथ सभी पत्र-व्यवहार में अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाता है।
- “कर सूचना नेटवर्क” (टीआईएन): टीआईएन, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा स्थापित की गयी, राष्ट्रव्यापी कर से संबंधित सूचना का संग्रह है।
- “टीआईएन-एफसी”: टीआईएन-सुविधा केन्द्र टीआईएन आवेदक से फार्म 49बी फार्म में नए टीआईएन के आवंटन के लिए आवेदन प्राप्त करता है, और ई-टीडीएस/टीसीएस रिटर्न और कटौतीकर्ताओं/संग्रहकों द्वारा टीडीएस/टीसीएस रिटर्न (कागज प्रारूप में) और टीआईएन केन्द्रीय प्रणाली के लिए उन्हें अपलोड किया जाता है।
- “कर कटौती/संग्रहण खाता संख्या” (टैन): टैन आईटीडी द्वारा निर्गत एक 10 अंकों की अक्षरांकीय संख्या है। यह टीडीएस की कटौती के लिए उत्तरदायी है और जो टीसीएस एकत्र करने के लिए आवश्यक है, सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- “क्षेत्रीय खाता संख्या” (जेडएओ): 52 जेडएओ, प्रधान मुख्य खाता संग्रहण के अधिकार क्षेत्र के अधीन (प्रधान सीसीए) और क्षेत्रीय स्तर पर मासिक आधार पर व्यय और राजस्व (प्रत्यक्ष कर) का लेखाकरण करने के लिए उत्तरदायी है। पोस्ट ओएलटीएएस परिवृश्य में जेडएओज अधिकृत बैंकों के नोडल शाखाओं से उनके कार्यालय में प्राप्त एकल चालान प्रति के एकमात्र संग्रहक बन गए हैं।
- “फाइल वैधता उपयोगिता” (एफवीयू): ई-टीडीएस/टीसीएस एफवीयू एक जावा आधारित उपयोगिता है जहां ई-टीडीएस/टीसीएस रिटर्न विव 2007-8 के लिए तैयार किया गया है और आगे भी (अर्थात् फार्मस 24 क्यू, 26 क्यू, 27 क्यू और 27 इक्यू) वैध किया जा सकता है।

- “फार्म 27 अ”: फार्म 27 अ फार्म 24 क्यू, फार्म 26 क्यू, और फार्म 27 क्यू में तिमाही टीडीएस रिटर्न के साथ जमा किया जाता है। 27अ फार्म कटौतीकर्ता/सग्रहणकर्ता और कुल कर कटौती/संग्रहण की समस्त राशि और कटौती किये गये और पार्टी अभिलेखों की कुल संख्या के संबंध में कुल कर जमा (या कुल चालान राशि) के ब्यौरे के साथ एक सरल फार्म है।
- “फार्म 26एएस”: फार्म 26एएस वार्षिक विवरण है जिसमें कर क्रेडिट के विवरण आयकर विभाग के डेटाबेस के अनुसार प्रत्येक करदाता के लिए तैयार किये गये थे। फार्म 26एएस करदाता के पैन के संबंध में कर क्रेडिट को प्रकट करेगी।
- “वेव-1”: वेव-1 प्रक्रिया है जिसमें चालान के मिलान, पैन वैधता, फार्म 26 एएस, फार्म 16,16ए डाऊनलोड और समेकित फाइल के लिए प्रसारित किया जाता है।
- “वेव-2”: वेव-2 एक प्रक्रिया है जिसमें विवरण अन्तिम रूप से प्रसारित किये जाते हैं।
- “ट्रेसिस”: ट्रेसिस टीडीएस पुन-समन्वय, विश्लेषण और सुधार को सक्षम करने की प्रणाली है। यह आईटीडी की एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जो टीडीएस प्रशासन के साथ संबंद्ध सभी हितधारकों के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। यह चालान स्थिति, एनएसडीएल कोनसी फाइल की डाऊनलोडिंग, रिपोर्ट औचित्य और फार्म 16/16ए के साथ-साथ वार्षिक कर क्रेडिट विवरण के अवलोकन को ध्यान में रखने में सक्षम है।